न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–115/2017 दायर दिनांकः 26.07.2017

GCMS NO:- 2017/00292

पीठासीन अधिकारी :–श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

1. कमला वाई वैवा वावूलाल जाति ब्राह्मण निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
2. नरेश आ0 वावूलाल जाति ब्राह्मण निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. हरपाल आ0 पांचू जाति माली निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
2. प्रभु आ0 पांचू जाति माली निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
3. वद्री आ0 पांचू जाति माली निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
4. रामलाल आ0 पांचू जाति माली निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
5. सरस्वती पुत्री वावूलाल जाति ब्राह्मण निवासी करवर तहसील नैनवां हाल पता पत्नि श्री मुरली मनोहर शर्मा निवासी दुमेता (फलोदी) जिला सवाई माधोपुर राज0।
6. लक्ष्मी पुत्री वाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी करवर तहसील नैनवां हाल पता पत्नि श्री राधे मोहन शर्मा निवासी जटवाडा जिला सवाई माधोपुर राज0।
7. गणेश पि0मु0 सुखदेव जाति ब्राह्मण निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
8. दिनेश देवी पत्नि श्री शंकरलाल जाति कलाल निवासी करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राज0।
9. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला वून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 212 आर.टी एक्ट वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेश ठाकौर।

निर्णय दिनांक 30.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला वून्दी राजस्थान की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या 991 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2642 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या 991 की कृषि भूमि खाता संख्या 152 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2003 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 2004 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 2017 रकबा 9 बिस्वा व खसरा संख्या 2018 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीयान सरस्वती व लक्ष्मी का सम्मिलित हिस्सा 1/3 जमाबन्दी में दर्ज है परन्तु भूमियां पैतृक है और प्रार्थीगण के पिता बाबूलाल की मृत्यु करीब 10–12 वर्ष हो चुकी है। प्रार्थीगण के पिता ने अपनी पुत्रियों सरस्वती व लक्ष्मी को पहले ही जेवर गहने व नकद रकम देकर अलग कर दिया था और कह दिया था कि इनका अब भूमियों में कोई हिस्सा नही रहेगा। अप्रार्थीयान सरस्वती व लक्ष्मी का करीब 15 वर्षो से भूमि में कोई हक व आधिपत्य नहीं रहा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के ज्ञान में खुल्लम खुल्ला निरन्तर निर्बाध रूप से शांति पूर्ण रूप से हिस्सा 1/3 पर काबिज चले आ रहे है और कब्जा मुखालफाना द्वारा भी खातेदार कृषक हो चुके है। अप्रार्थीयान सरस्वती व लक्ष्मी का जो भी हक था वो समाप्त हो चुका है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को [illegible] इसके [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की चरण संख्या [illegible] 2 [illegible] वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण बलपूर्वक सम्पूर्ण भूमि से बेद[illegible] नही करें, भूमि को नष्ट भ्रष्ट नही करे, भूमि को बैचान, रहन [illegible] नही [illegible] एवं अन्य किसी भी प्रका[illegible] प्रार्थीगण के हक एवं आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य [illegible] करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया, लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से सभी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस प्राथना पत्र सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया ।

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

01. प्रथम दृष्टया मामला : प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि को मौखिक इकरार नामे के आधार पर अपने नाम खातेदारी लगवाने का वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण शामलाती खाते की भूमि में सह खातेदार की हैसियत से है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों, राजस्व मंडल द्वारा कई निर्णित प्रकरणों में अभिनिर्धारित सिद्धांतो एवं 1964 RRD पेज 88 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। रिकॉर्डेड सह खातेदार को किसी अन्य रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही साबित होता है।

02. अपूर्णनीय क्षति : प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अतः अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न ही नही उठता है। ऐसी स्थिति में अपूर्णनीय क्षति बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

03. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, बहस, राजस्व रिकोर्ड के आधार पर एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दूओ पर विचार करने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested